भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1496

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

विदेशियों के पंजीयन हेतु विधि में संशोधन करना

†1496. श्री अर्जुन लाल मीणा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशियों के आगमन और प्रस्थान से संबंधित विभिन्न पंजीयन कानूनों का लोप करने और इसके लिए एक कानून बनाने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कानून में क्या व्यापक संशोधन किए जाने की संभावनाएं हैं;
(ग) क्या प्रस्तावित संशोधन शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू किए जाने की संभावना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (घ) : भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के पंजीकरण को विदेशी राष्ट्रिकों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशी राष्ट्रिकों का पंजीकरण नियमावली, 1992 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और विदेशी विषयक आदेश, 1948 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश, उनके ठहरने और उनके यहां से प्रस्थान को विनियमित करते हैं। वर्तमान में इस संबंध में एक एकल कानून बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, मौजूदा प्रावधानों में अस्पष्टता को हटाने और प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण नियमावली, 1992 से नियम 14 और 18 तथा उसमें निर्धारित फार्मों को हटाते हुए दिनांक 18.03.2016 को एक अधिसूचना जारी की है।

विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण नियमावली, 1992 का नियम 14 में होटल मालिकों द्वारा होटल में रह रहे विदेशी राष्टिकों के संबंध में पंजीकरण अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण नियमावली, 1992 का नियम 18 में विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान में नामांकित विदेशी राष्ट्रिकों के संबंध में पंजीकरण अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान था। इसके साथ-साथ, इन अपेक्षताओं को विदेशी विषयक (संशोधन) आदेश, 2016 जारी करके विदेशी विषयक आदेश, 1948 में शामिल किया गया है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18.03.2016 को अधिसूचित किया गया था।